

# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/02/2023  
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2023/2

**अपीलार्थी**

श्री दीपक कुमार प्रजापत  
निवासी-बी-149, अम्बेडकर नगर, अलवर

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

**प्रवेश तिथि :: 02.01.2023**


प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

**निर्णय**

**दिनांक: 07.02.2023**

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन-पत्र दिनांक: 07.11.2022 के माध्यम से पूर्व में न्यास को प्रार्थी स्वयं के पडौस में प्लॉट सं. बी-150, अम्बेडकर नगर, अलवर मे फ्रंट-सेट बैंक में यू.आई.टी. के नियम विरुद्ध अवैध तरीके से निर्माण कार्य संबंध शिकायत के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 28.12.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
6. अतः उक्त आलोक में अपील स्वीकार की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 07.11.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत-पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतिविरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांक: 07.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित



  
(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)